

कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्य प्रदेश

मोतीमहल:: ग्वालियर

-----

क्रमांक/रसायन शाला 15/96/ 2370  
प्रति,

ग्वालियर, दिनांक 30-8-96

1. समस्त उपायुक्त आबकारी
  2. समस्त जिला आबकारी अधिकारी
  3. प्रभारी आबकारी अधिकारी, बूअरीज
- 
- 

विषय:- बूअरीज में निर्मित बीयर की गुणवत्ता का नियंत्रण तथा रासायनिक परीक्षण ।

-----

बूअरीज में निर्मित बीयर की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि इसका नियमित रूप से रासायनिक परीक्षण कराया जाये, अतः प्रत्येक बूअरीज में निर्मित बीयर की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि निर्मित बीयर का बोतल भराई के पूर्व बोतल भराई के लिए तैयार तथा बोतलों में भरी जा चुकी बीयर के रेण्डम तरीके से नमूने लेकर इनका बूअरीज में स्थित रासायनिक प्रयोगशाला से भिन्न मान्यता प्राप्त/अनुमोदित प्रयोगशाला में रासायनिक परीक्षण प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार कराया जाय । अतः निर्देश दिये जाते हैं कि प्रदेश में स्थित समस्त बूअरीज में निर्मित बीयर के प्रत्येक बैच के नमूने का सम्बन्धित बूअरीज में स्थापित प्रयोगशाला में रासायनिक परीक्षण कराने के अलावा वाइक के प्रभारी अधिकारी प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार बीयर के रेण्डम तरीके से नमूने लेकर रासायनिक परीक्षण हेतु इस कार्यालय द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला को भेजेंगे ।

2- बीयर की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए निम्न निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये:-

६।१ बोतल भराई के पूर्ण बोतल भराई के लिए तैयार बीयर के प्रत्येक बैच के नमूने का रासायनिक परीक्षण अनुसंधानकारी को निजी प्रयोगशाला में किया जाये। नमूने को बीयर IS:3865::1993 (Second Revision) Specification for Beer के अंतर्गत निर्धारित मानक के अनुसार होने पर ही बैच जारी करने की अनुमति दी जाये। उक्त Specification के अनुसार Ethyl Alcohol की मात्रा के आधार पर बीयर के निम्नानुसार चार प्रकार निर्धारित किये गये हैं:-

S.No.	Type of Beer	Ethyl Alcohol Contents at 15°C			
		Exceeding	But not Exceeding	Exceeding	But not Exceeding
1.	Light	0.5 %	4.0 %	(0.87 Proof)	7.01 Proof
2.	Standard	4.0 %	5.0 %	(7.01 , ,	8.76 , ,
3.	Extra Strong	5.0 %	6.0 %	( 8.76 , ,	10.51 , ,)
4.	Super strong	Above 6.0 Percent	→	Above 10.51 Proof	→

जब नमूने की बीयर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा बीयर के लिए उपरोक्त Specification में निर्धारित मानक के अनुसार उपयुक्त पाई जाये तभी बैच जारी करने की अनुमति दी जाये। बीयर के नमूनों का परीक्षण उपरोक्त Specification में दर्शाई गई उचित विधि का पालन करते हुये किया जायेगा। इस हेतु निर्माण के केमिस्ट द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्रों को प्रभारी अधिकारी अपने पास सुरक्षित रूप से रखें। इस प्रमाण पत्र में तेजो का उल्लेख भी के-मिस्ट द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाये। बीयर के प्रकार के अनुसार ही उपरोक्त दर्शाई गई सीमाओं में Alcoholic strength पाई जाने पर इस प्रकार की टैविल के अन्तर्गत बीयर को भराई की जा सकेगी। पूर्व से अनुमोदित सर्व प्रचलित लेवलो में भी भविष्य में उपरोक्तानुसार बीयर के प्रकार के आधार पर टैविल में दर्शाये अनुसार बीयर की तेजो लिखी जाये। लेवलो पर उक्त विवरण मुद्रित कराना मुनि विधित करने का उत्तर-दायित्व बीयर निर्माणी इकाईयो के प्रभारी अधिकारियों का होगा।

६।११ बोतल भराई के पूर्व, बोतल भराई के लिए तैयार तथा बोतलों में भरो जा चुकी बीयर के नमूने प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार रेण्डम तरीके से लेकर

॥ एक ॥

॥ दो ॥

बीयर के नमूने भारसाधक अधिकारी द्वारा स्वयं निकाले जाएं ।  
बीयर के तीन नमूने सील किये जाएँ, एक नमूना रासायनिक परीक्षण  
हेतु इस कार्यालय द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला को भेजा जाये, दूसरा  
नमूना भारसाधक अधिकारी द्वारा ताले में बंद कर अपने कार्यालय में  
परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने तक सावधानी-पूर्वक रखा जाये तथा तीसरा  
नमूना लायसेंस को दिया जावे और उसकी प्राप्ति की रसीद प्राप्त  
की जाये ।

॥ तीन ॥

रासायनिक परीक्षण के लिए भेजे जाने वाले प्रत्येक नमूने पर एक लेबल  
चिपकाया जाये, जिस पर निम्न विवरण लिखा जाये:-

- Name & Address of the manufacturer
- Name of label/type, if any
- Name & type of material & Alcohol contents-percent(v/v)
- Batch or code number
- Net contents in M.L
- Date of Sampling

॥ चार ॥

नमूनों को भारसाधक अधिकारी द्वारा सीलबंद किया जायेगा तथा  
नमूनों के लेबल पर हस्ताक्षर किए जाकर ताले में अंकित की जाएगी ।  
उक्त निर्देशों का निष्ठापूर्वक कड़ाई से पालन किया जाये ।

//प्रतीवास्तव//  
1381996

आबकारी आयुक्ता  
२ मध्यप्रदेश  
३.८९६